प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **197 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन पताः फ्लैट नंबर 502, हिंतावाला टॉवर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भूवाणा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04-02-2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/197/25/1221–22 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2025/2005/04 दिनांक 15.01.2026 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 267 दिनांक 14.10.2025 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना प्रार्थी अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन को सूचित किया गया एवं पुनः प्रार्थी को कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक सू.अ./2005/2025/280 दिनांक 17.12.2025 को सूचना डाक के माध्यम से प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी की अपील को निरस्त फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 267 दिनांक 14.10.2025 एवं पत्रांक 280 दिनांक 17.12.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-02-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर